न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –66/201 जिला सीकर

1. हीराराम पुत्र खेताराम, जाति जाट, निवासी गाम गोगावास, तहसील दातारामगढ, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनी देवी पत्नी मानाराम
2. घनश्याम पुत्र मानाराम
3. रघुनाथ पुत्र मानााम नाबालिग जरिये मोहनी देवी पत्नी स्व. श्री मानाराम माता , समस्त जाति जाट, निवासी ग्रम मोटलावास, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर (राजस्थान)
4. पन्नी देवी पत्नी स्व. श्री मूनाराम
5. छीतरमल पुत्र स्व. श्री मूनाराम
6. गिरधारी लाल पुत्र स्व. श्री मूनाराम
   जाति जाट, निवासी ग्रम गोगावास, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर
7. तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार दातारामगढ जिला सीकर दिनांक 26.7.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री हरलाल सिंह व श्री आत्माराम शर्मा

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक –7.10.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार दातारामगढ जिला सीकर दिनांक 26.7.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मोटलावास , तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 171, 838, 839, 831, 774, 775, 830, 829 एवं ग्रम गोगावास, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 67, 68, 65, 70, 71, 72, 73, 61, 62, 11, 12 एवं 63 के संबंध में पक्षकारान द्वारा बंटवारानामा तैयार कर तहसीलदार दांतारामगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसको आदेश दिनांक 29.1.2009 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । उक्त बंटवारानामा की आज्ञा दिनांक 29.1.2009 की पालना में ग्रम गोगावास स्थित भूमि का नामांतरकरण संख्या 425 पन्नी देवी बेवा मुनाराम, गिरधारी लाल, छीतरमल पि. मुनाराम के नाम नायब

तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा दिनांक 11.2.2009 को एवं ग्रम मोटलावास स्थित भूमि का नामांतरकरण संख्या 245 पन्नी देवी बेवा मुनाराम, गिरधारी लाल, छीतरमल पि. मुनाराम एवं हीराराम पुत्र खेताराम के नाम नायब तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा दिनांक 11.2.2009 को स्वीकार किया गया ।

तहसीलदार दांतारामगढ के बंटवारानामा के आदेश दिनांक 29.1.2009 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट मोहनी, घनश्याम, रघुनाथ द्वारा अपील न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष धारा 225 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई , जो जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 10.6.2010 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार दांतारामगढ का आदेश दिनांक 29.1.2009 निरस्त किया गया एवं प्रकरण पक्षकारान को साक्ष्य सबूत व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को प्रतिप्रेषित किया गया ।

जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 10.6.2010 की अनुपालना में तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा निर्णय दिनांक 26.7.2016 पारित कर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानों के अनुसार सहमति का नहीं होने से बंटवारा दिनांक 29.1.2009 खारिज कर बंटवारे से पूर्व की स्थिति बहाल रखते हुये रिमाण्ड प्रकरण खारिज किया गया है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार दांतारामगढ के उक्त निर्णय दिनांक 26.7.2016 के खिलाफ अपीलान्ट हीराराम द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 22.11.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार दांतारामढ को निर्देशित किया गया कि नामांतरकरण संख्या 425 ग्रम गोगावास के संबंध में भी उचित निर्णय पारित करें ।

अति. जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 22.11.2016 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 पन्नी देवी वगैहरा द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 19.6.2017 द्वारा इस आधार पर स्वीकार की जाकर अति. कलक्टर का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया गया कि "तहसीलदार दांतारामगढ का निर्णय दिनांक 26.7.2016 पक्षकारों के मध्य विवादित प्रकरण में पारित किया गया था और ऐसे आदेश के खिलाफ अपील सुनने का क्षेत्राधिकार निदेशक भू अभिलेख (सम्भागीय आयुक्त/अति. सम्भागीय आयुक्त ) को है । तहसीलदार ने जिला कलक्टर सीकर के समक्ष धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील गें पारित निर्णय दिनांक 10.6.2010 की अनुपालना में आदेश दिनांक 26.7.2016 पारित किया है जिसमें प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानों के अनुसार सहमति का नहीं होने से बंटवारा दिनांक 29.1.2009 खारिज कर बंटवारे से पूर्व की स्थिति बहाल की है तथा पक्षकारों को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर उचित रिलीफ प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं , के खिलाफ अपील सुनने का

क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्तनीय है । पक्षकारों को तहसीलदार के प्रश्नगत आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिय'' ।

अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 19.6.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट हीरा राम द्वारा निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की हो निर्णय दिनांक 1.11.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर अति. सम्भागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 19.6.2017 एवं अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 22.11.2016 निरस्त कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है ।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के दोनों बंटवारे पक्षकारों में आपसी सहमति के आधार पर हुये हैं ओर आपसी सहमति के आधार पर हुये बंटवारानामा दिनांक 29.1.2009 के आधार पर नामांतरकरण संख्या 425 एवं 245 तस्दीक हुये हैं । बंटवारानामा तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.1.2009 को स्वीकृत किये जाने के खिलाफ प्रस्तुत अपील में न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के आदेश दिनांक 10.6.2010 द्वारा प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 26.7.16 को आदेश पारित कर ग्रम मोटलावास स्थित भूमि के नामांतरकरण संख्या 245 दिनांक . 11.2.2009 को निरस्त कर दिया एवं ग्रम गोगावास स्थित भूमि के नामांतरकरण संख्या 425 के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किये जाने से तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.7.16 के खिलाफ अति. जिला कलक्टर सीकर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत थी जो निर्णय दिनांक 22.11.16 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया गया कि नामांतरकरण संख्या 425 ग्रम गोगावास के संबंध में भी उचित निर्णय पारित करें । उनका कहना था कि गलत सलाह मिलने के कारण तहसीलदार के निर्णय के खिलाफ अपील अति. जिला कलक्टर सीकर के न्यायलाय में प्रस्तुत करदी थी । अतः गलत सलाह के कारण सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब दिनांक 26.7.16 से 22.11.18 तक की अवधि के विलम्ब को क्षमा किया जावे । उनका कहना था कि नामांतरकरण संख्या 425 ग्रम गोगावास भी तहसीलदार के बंटवारानामा आदेश दिनांक 29.1.2009 की अनुपालना में भरकर स्वीकृत हुआ था , लेकिन नामांतरकरण संख्या 245 ग्रम मोटलावास को तो निरस्त कर दिया , ओर नामांतरकरण संख्या 425 ग्रम गोगावास के संबंध में कोई आज्ञा पारित नहीं कर कानूनी भूल की है । उक्त दोनों नामांतरकरण जिस निर्णय दिनांक 29.1.2009 की अनुपालना में भरे गये थे वह निर्णय जिला कलक्टर के निर्णय से निरस्त हो गया है

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तो नामांतरकरण संख्या 425 का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं नामांतरकरण संख्या 425 ग्रम गोगावास निरस्त किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स में सहमति के आधार पर हुये पूर्व बंटवारा दिनांक 4.8.2007 के अनुसार वे काबिज काश्त है तथा रिहायशी मकानात बनाकर एवं भूमि पर बने कुऐ में विद्युत सैट लगा कर निवास कर रहे हैं । इस बंटवारानामा के आधार पर नामांतरकरण नहीं भरा गया । उनका कहना था कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 6 ने दिनांक 29.1.2009 को दूसरा बंटवारा आदेश तहसीलदार से जारी करा लिया जिसमें रेस्पोंडेन्ट व उसके पुत्रों के बंटवारे में आयी कृषि भूमि में वह 2/3 भूमि अपीलान्ट को दे दी गई , जो गलत रूप से दी गई है जबकि उक्त भूमि दिनांक 4.8.2007 को हुऐ बंटवारे के अनुसार उसकी व उसके पुत्रों के कब्जे व उपयोग उपभोग व स्वामित्व में थी । पक्षकारों द्वारा दिनांक 29.1.2009 को आपसी सहमति से बंटवारा हुआ था जिसे तहसीलदार द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात् ग्रम गोगावास स्थित भूमि का नामांतरकरण संख्या 425 तस्दीक किया गया था जिसमें वर्णित भूमि पर रेस्पोंडेन्ट का कब्जा है तथा पुख्ता निर्माण कार्य किया हुआ है । नामांतरकरण संख्या 425 निरस्त किये जाने से रेस्पोंडेन्ट के अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित होगें । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.7.2016 से ग्रम पंचायत मोटलावास के नामांतरकरण संख्या 245 दिनांक 11.2.2009 को जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 10.6.2010 द्वारा निरस्त कर दिया है, का राजस्व रिकार्ड में निरस्त का नोट अंकित कर राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल कर पालना प्रस्तुत करने निर्देश के साथ रिमाण्ड प्रकरण खारिज किया गया है । तहसीलदार का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के बंटवारेनामें को लेकर है । तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा तस्दीक किया गया बंटवारानामा दिनांक 29.1.2009 के मुताबिक नायब तहसीलदार दांतारामगढ ने ग्रम मोटलावास स्थित भूमि का नामांतरकरण संख्या 245 दिनांक 11.2.2009 को रेस्पोंडेन्ट 4 से 6 व अपीलान्ट के नाम स्वीकार किया गया एवं ग्रम गोगावास स्थित भूमि का नामांतरकरण संख्या 425 दिनांक 11.2.2009 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 व 6 के नाम स्वीकार किया गया । चूंकि पक्षकारो के मध्य तहसीलदार द्वारा तस्दीक बंटवारानामा दिनांक 29.1.2009 को मोहनी देवी की अपील पर जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 10.6.2010 द्वारा

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ को जॉच कर पक्षकारान को साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया था , जिसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को सुना जाकर निर्णय दिनांक 26.7.2016 पारित कर प्रकरण आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 53 के प्रावधानों के अनुसार सहमति का नहीं होने से बंटवारा दिनांक 29.1.2009 खारिज कर बंटवारे से पूर्व की स्थिति बहाल रखते हुये रिमाण्ड प्रकरण खारिज किया है तथा उभयपक्षकारों को आदेशित किया गया है कि सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर उचित रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं । ग्राम मोटलावास का नामांतरकरण संख्या 245 जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 10.6.2010 से निरस्त कर दिया है , का राजस्व रिकार्ड में निरस्त का नोट अंकित कर राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल कर पालना प्रस्तुत करने के निर्देश पटवारी हल्का को दिये गये । हम समझते हैं कि पक्षकारों में हुये बंटवारे के आदेश तहसीलदार दांतारामगढ दिनांक 29.1.2009 को जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 10.6.2010 द्वारा निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ को जॉच कर पक्षकारान को साक्ष्य सबूत व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया । चूंकि प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 245 ग्राम मोटलावास व नामांतरकरण संख्या 425 ग्राम गोगावास नायब तहसीलदार दांतारामगढ ने दिनांक 11.2.2009 को तहसीलदार दांतारामगढ के बंटवारा आदेश दिनांक 29.1.2009 की अनुपालना में तस्दीक किये गये हैं । जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 10.6.2010 द्वारा बंटवारा आदेश तहसीलदार दांतारामगढ दिनांक 29.1.2009 को निरस्त कर दिया गया था , लेकिन तहसीलदार दांतारामगढ ने उक्त आदेश की अनुपालना में पारित निर्णय दिनांक 26.7.2016 से ग्राम मोटलावास के नामांतरकरण संख्या 245 दिनांक 11.2.2009 को न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा निर्णय दिनांक 10.6.2010 से निरस्त कर दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में निरस्त का नोट अंकित कर राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश देते हुये रिमाण्ड प्रकरण खारिज किया है , लेकिन नामांतरकरण संख्या 425 ग्राम गोगावास के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है जबकि दोनों ही नामांतरकरण तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.1.2009 की अनुपालना में तस्दीक हुये थे । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश में नामांतरकरण संख्या 425 ग्राम गोगावास के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त नहीं करना , उचित प्रतीत नहीं होता है । हम समझते हैं कि जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 10.6.2010 के परिपेक्ष्य में पूर्ण जॉच कर उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर नामांतरकरण संख्या 425 ग्राम गोगावास के संबंध में भी उचित निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । अतः अपील

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपरोक्तानुसार प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायिक रूप से उचित हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 10.6.2010 के परिपेक्ष्य में पूर्ण जॉच कर उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर नामांतरकरण संख्या 425 ग्रम गोगावास के संबंध में भी उचित निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 7.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

( चित्रा गुप्ता )
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर